



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 135-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 25, 2016 (BHADRA 3, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2016

No. 21-HLA of 2016/86.— The Haryana Sports Council Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 21- HLA of 2016

THE HARYANA SPORTS COUNCIL BILL, 2016

A

BILL

to provide for the promotion of sports, games, yoga and physical fitness, to augment the athletic efficiency, to promote the concept of 'sports for all', to constitute sports councils at State level, district level and local level in the State of Haryana and for matter ancillary or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER 1 PRELIMINARY

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <p>1. (1) This Act may be called the Haryana Sports Council Act, 2016.</p> <p>(2) It shall come into force at once.</p> | <p>Short title and Commencement.</p> |
| <p>2. In this Act, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) “Appellate Tribunal” means the Appellate Tribunal constituted under section 40;</p> <p>(b) “awardee” means a sportsperson who has been awarded sports award at State, National or International level, as recognized by the State Government;</p> <p>(c) “Block Sports Council” means a Block Sports Council constituted under section 22;</p> <p>(d) “Corporation Sports Council” means a Corporation Sports Council constituted under section 16;</p> <p>(e) “district” means a revenue district;</p> | <p>Definitions.</p> |

- (f) "District Sports Council" means the a District Sports Council constituted under section 9;
- (g) "educational institution" means a university, college, school, engineering college, medical college, polytechnic, industrial training institute or such other institution where instructions are imparted in any scientific, technical or arts subjects or any other institution as notified by the State Government;
- (h) "existing sports council" means the existing sports council either at the State level or district level;
- (i) "member" means a member of the State Sports Council, District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal S5194ports Council, Town Sports Council, Block Sports Council or any other sports promotion body, as the case may be, constituted under this Act;
- (j) "Municipal Sports Council" means a Municipal Sports Council constituted under section 18;
- (k) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (l) "registered sports organization" means a Sports Organization registered with the State Sports Council;
- (m) "recognized sports discipline" means such sports discipline as recognized by the State Government by notification;
- (n) "regulations" means regulations made by the State Sports Council under this Act;
- (o) "sports" shall include such outdoor and indoor sports, games, yoga and other physical activities including traditional sports, self-defence skills, adventure sports, martial arts and shall include any other physical or mental activity, as the State Government may, specify, by notification, in the Official Gazette;
- (p) "sportsperson" means a person who has participated in any of the recognized sports discipline at District, State, National or International level in recognized sports competitions;
- (q) "sports club" means a sports body registered with the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council, Block Sports Council, as the case may be;
- (r) "sports organization" means an organization constituted in accordance with law for the time being in force and having a written constitution for the promotion of sports and games and includes all sports association of recognized sports disciplines at the State and district level;
- (s) "Standing Committee" means the Standing Committee constituted under section 8;
- (t) "State Government" means the Government of the State of Haryana;
- (u) "State Sports Council" means the Haryana State Sports Council constituted under section 3;
- (v) "Town Sports Council" means a Town Sports Council constituted under section 20.

CHAPTER II

STATE SPORTS COUNCIL

State Sports Council.

3. (1) On the commencement of this Act, the State Government shall by notification, constitute with effect from such date, as may be specified in the notification, a State Sports Council to be called the Haryana State Sports Council for a term of three years.
- (2) The State Sports Council shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to enter into contract and shall by the said name sue and be sued.
- (3) The State Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-I and shall also be the governing body of the State Sports Council. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter the composition of the State Sports Council.

- (4) The President and the Vice-President of the State Sports Council shall exercise such powers, as may be delegated to them by the governing body of the State Sports Council.
- (5) Every member of the State Sports Council, other than ex-officio members, shall hold office for a period of three years:
- Provided that no member nominated in his capacity as a member of a particular body or as the holder of a particular office shall continue as a member beyond a period of three months after he has ceased to be such member or holder of such office unless he again becomes such member or holder of such office within such period.
- (6) The President of the State Sports Council shall nominate the nominated members in the State Sports Council.
- (7) The Executive Vice-President shall function on full time basis and shall be paid such honorarium and other facilities, as may be decided by the President.
4. (1) The Administrative Secretary, Sports and Youth Affairs Department shall be the ex-officio Secretary-General of the State Sports Council. The State Government may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary as the Secretary of the State Sports Council to carry out such functions, as assigned to him by the Secretary-General and shall in case of his absence or vacancy, discharge the functions of Secretary-General. Secretary-General
of State Sports
Council.
- (2) The State Government may designate a Gazetted Officer in State Government, an awardee or a medal winner in National or International competition as the Joint Secretary of the State Sports Council for carrying out the functions assigned by the State Sports Council and shall in case of absence or vacancy, discharge the functions of Secretary-General.
- (3) Subject to the supervision of the State Sports Council, the Secretary-General shall be the Chief Executive Officer and shall have general supervision and control over the employees of State Sports Council and the District Sports Councils and shall perform the following duties, namely:-
- (i) implement the resolutions of the State Sports Council and the Standing Committee;
 - (ii) incur the expenditure authorized by the State Sports Council and the Standing Committee;
 - (iii) make payments by cheques or cash for all the expenses authorized by the State Sports Council;
 - (iv) be responsible for the safe custody of the fund of the State Sports Council;
 - (v) keep and maintain accounts of income and expenditure of the State Sports Council;
 - (vi) keep the records of the meetings and the proceedings of the State Sports Council and Standing Committee; and
 - (vii) submit returns, accounts, statement and other details when required by the State Government or authorized Audit Officer.
- (4) The Secretary-General may, with the permission and subject to such restrictions and limitations, as may be specified by the Standing Committee by an order in writing, entrust any of his functions to the Secretary or any official of the State Sports Council.
5. (1) Save as otherwise expressly provided in this Act, the State Sports Council shall have the following powers and functions, namely:- Functions of
State Sports
Council.
- (a) to organize, co-ordinate and promote sports;
 - (b) to establish sports information centres, stadia, pavilions, playgrounds, parks, children's parks, sports training centres, sports hostels, sports institutions and to construct buildings, swimming pools and gymnasias etc.;

- (c) to acquire properties for carrying out all or any of its activities;
- (d) to conduct or organize itself or through District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council, Block Sports Council and to ensure participation of District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council or Block Sports Council in tournaments, competitions, training courses, seminars, coaching centres, exhibitions or tours for promotion of sports;
- (e) to introduce insurance and accident insurance coverage for sportspersons, coaches and referees in such manner, as may be prescribed;
- (f) to grant assistance by way of loans or otherwise to sportspersons, educational institutions, sports organizations, sports clubs or sports associations;
- (g) to raise fund for carrying on its activities;
- (h) to arrange and conduct competitions in sports in the State at National, International, Inter-state or local level;
- (i) to give grants or funds to educational institutions and registered sports organizations for promotion of sports;
- (j) to establish, administer and regulate research centres for development of sports;
- (k) to establish sports information centres and to compile and collect sports related data, statistics and information etc.;
- (l) to publish sports magazines, books, titles, bulletins and other sports related information;
- (m) to formulate and implement schemes for welfare of the sportspersons;
- (n) to formulate and implement schemes for welfare of the disabled sportspersons;
- (o) to promote anti-doping measures in sports;
- (p) to take effective steps for prevention of sexual harassment in sports; and
- (q) to do any other act that may be conducive to the furtherance of the objects of this Act.
- (2) The State Sports Council shall exercise such powers and discharge such other functions, as may be conferred under this Act and the rules made thereunder.
- (3) The State Sports Council may, subject to any restrictions and conditions, as may be specified by it, delegate its powers and duties under this Act to the Standing Committee.
- (4) The State Sports Council shall exercise general supervision and control over the Sports Councils constituted under the Act and shall be empowered to issue directions to such councils which shall be binding.
- Meeting of State Sports Council.
6. (1) The State Sports Council shall meet at least twice in a year and the quorum shall be one-third of its total members.
- (2) The President of the State Sports Council may, whenever he thinks fit, convene a special meeting of the State Sports Council for the transaction of urgent business.
- (3) Subject to such conditions, as may be prescribed and upon a written requisition of not less than one-third of its total members, the President shall convene a special meeting of the State Sports Council to discuss urgent matters.
- Procedure of State Sports Council.
7. (1) The State Sports Council shall regulate its own procedure and shall transact its business through resolutions passed in accordance with such procedure.
- (2) A copy of every resolution shall be forwarded to the State Government within a period of fifteen days of the passing of that resolution.
- (3) The State Government may call for any record or information regarding any resolution from the State Sports Council and the State Sports Council shall be bound to furnish such record or information.

- (4) The State Government may, after giving reasonable notice to the State Sports Council and after hearing its objections, if any, suspend, cancel or modify any resolution passed by the State Sports Council.
8. (1) There shall be Standing Committee for the State Sports Council consisting of the following members, namely:- Standing Committee.
- (a) Vice-President of the State Sports Council-Chairman of the Standing Committee;
 - (b) Executive Vice-President of the State Sports Council- Vice-Chairman of the Standing Committee;
 - (c) Administrative Secretary, Sports and Youth Affairs Department and Secretary-General of State Sports Council;
 - (d) Director, Sports and Youth Affairs Department;
 - (e) Secretary, State Sports Council if appointed or designated;
 - (f) Four members to be nominated by the President of the State Sports Council from among the members of whom one shall be a member representing the sports organizations/associations and one shall be a sports expert/awardee/ medal winner in the International events. One nominated member shall be a woman.
- (2) The Standing Committee shall meet in such manner, at such time and at such place, as the Chairman of the Standing Committee may decide and shall exercise such powers and discharge such functions, as may be entrusted to it by the State Sports Council.
- (3) Without prejudice to the powers and functions entrusted to the Standing Committee by the State Sports Council, the Standing Committee shall discharge the following functions, namely:-
- (i) to create posts on contract, honorarium or fixed fee basis in the State Sports Council and the Districts Sports Council;
 - (ii) to create regular posts in District Sports Councils and constitute selection committees;
 - (iii) to engage consultants for various activities of the State Sports Councils and District Sports Councils;
 - (iv) to approve calendar of events of the State Sports Council;
 - (v) to monitor day to day activities of State Sports Council;
 - (vi) to exercise supervisory control over District Sports Councils;
 - (vii) to approve organizing various programmes such as training camps, tournaments, coaching camps, competitions etc;
 - (viii) to approve special grants for players participating in various National and International events;
 - (ix) to approve aid and financial help to the sportspersons injured during sports events;
 - (x) to approve grants for purchase of equipment to the sportspersons participating in National and International competitions;
 - (xi) to approve kit and uniform to the sportspersons participating in National and International competitions; and
 - (xii) to take special measures in the case of emergency.
- (4) The Standing Committee shall regulate its own procedure.
- (5) The Chairman of the Standing Committee may be delegated functions, powers and duties to be discharged by State Sports Council.
- (6) The Executive Vice-Chairman shall chair the meeting of the Standing Committee in the absence of the Chairman.

CHAPTER III
DISTRICT SPORTS COUNCILS

District Sports Council.

- 9.** (1) The State Government shall, by notification, constitute a body to be called the District Sports Council in each district, for a term of three years.
- (2) Every District Sports Council shall be a body corporate by the name of the district for which it is constituted, having perpetual succession and common seal, with power to acquire, hold and dispose of movable and immovable properties, to enter into contracts and to do all matters proper and expedient for the purpose for which it is constituted and shall by the said name sue and be sued.
- (3) The District Sports Councils shall be constituted as per the composition specified in Schedule-II. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter composition of District Sports Councils.
- (4) There shall be a President and a Vice-President for every District Sports Council. The Vice-President shall be nominated by the President, State Sports Council from among the members of the concerned District Sports Council.
- (5) The President and Vice-President of District Sports Council shall exercise such powers and perform such duties, as may be delegated or authorized by the State Sports Council by general order.
- (6) No member nominated in his capacity as a member or as the holder of a particular office shall continue as a member beyond a period of three months after he has ceased to be such member or holder of such office unless he again becomes such member or holder of such office within such period:

Provided that the term of office of the nominated male student and female student shall be one year from the date of nomination.

Secretary and Joint Secretary of District Sports Council.

- 10.** (1) The District Sports Officer shall be the ex-officio Secretary of the District Sports Councils. The Standing Committee on the recommendation of President, District Sports Council may designate any other sports official as Secretary of the District Sports Council.
- (2) The President of the District Sports Council shall, with the approval of the Standing Committee, designate a Gazetted Officer in State Government, an awardee or a medal winner in National or International competition as the Joint Secretary of the District Sports Council to discharge functions of Secretary in case of his absence or vacancy or to perform any other duty as assigned to him by the President.
- (3) Subject to the supervision of the State Sports Council, the Secretary of the District Sports Council shall be the Chief Executive Officer and shall have general supervision and control over the employees of District Sports Council.
- (4) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Secretary shall-
- (i) give effect to the resolutions of the District Sports Council and its Executive Committee;
 - (ii) be responsible for the safe custody of the fund of District Sports Council;
 - (iii) maintain and keep the accounts of receipts and expenditure of the District Sports Council;
 - (iv) examine and cause to be audited the statements and accounts of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council; and
 - (v) submit returns, accounts, statements or other details, whenever required by the State Government or the State Sports Council or any audit authority.
- (5) The Secretary of the District Sports Council shall exercise such other powers and perform such duties, as may be conferred or imposed upon him by the President of the District Sports Council.

- 11.** (1) It shall be the duty of every District Sports Council to perform such functions of the State Sports Council, as may be delegated to it by the State Sports Council from time to time. Functions of District Sports Council.
- (2) Without prejudice to the generality of the functions referred to in sub-section (1), the District Sports Council shall perform the following functions, namely: -
- (a) co-ordinate the activities of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council and other sports organizations in the district;
 - (b) organize sports events, competitions or tournaments within the district; and
 - (c) perform such other functions as the State Sports Council may specify by general or specific order.
- (3) The District Sports Council shall discharge its functions in appropriate manner jointly with other Government agencies, non-Government institutions, educational institutions and other organizations engaged in sports and games and shall also act according to the directions of the State Sports Council, as received in writing.
- 12.** (1) There shall be an Executive Committee of the District Sports Council consisting of its President, Vice-President, Secretary and two members to be nominated by the President of District Sports Council from among its members, of whom one shall be a woman. Executive Committee of District Sports Council.
- (2) The Executive Committee shall discharge such functions and perform such other duties, as may be entrusted to it by the District Sports Council, from time to time.
- (3) The procedure and quorum of meeting of the Executive Committee shall be such, as may be decided by District Sports Council.
- 13.** (1) Every District Sports Council shall meet at least twice in a year on the dates, as may be fixed by the President of the District Sports Council and one of such meeting shall be the annual meeting. Meeting of District Sports Councils.
- (2) The President of the District Sports Council shall preside over its meetings. The Vice-President in the absence of the President shall preside over the meetings of the District Sports Council and exercise such powers and perform such duties, as the President may, from time to time, delegate to him.
- (3) The President may, whenever deems necessary, convene a special meeting of the District Sports Council for transaction of urgent business.
- (4) Subject to such conditions, as may be prescribed, if not less than one-third of the total members of the District Sports Council demand in writing for the discussion of matters of urgent nature, a special meeting of the District Sports Council shall be convened by its President within fifteen days of such demand.
- (5) The quorum of a meeting of the District Sports Council shall be one-third of its total membership.
- 14.** (1) The District Sports Council shall transact its business by resolution passed in such manner and in accordance with such procedure, as may be directed by general order of the State Sports Council and in absence of such orders, the District Sports Council shall regulate its own procedure. Procedure of District Sports Council.
- (2) The copy of every resolution shall be forwarded to the State Sports Council, within fifteen days from the date of its passing.
- (3) The State Sports Council may call for any records or information regarding any resolution from the District Sports Council and the District Sports Council shall be bound to furnish such record or information.
- (4) The State Sports Council may, after giving reasonable notice to the District Sports Council and after hearing its objections, if any, suspend, cancel or modify any resolution passed by the District Sports Council.

CHAPTER IV

OTHER SPORTS COUNCILS

- Constitution of Sports Councils.** **15.** For the purpose of co-ordinating and implementing various activities connected with sports in rural and urban areas, the State Sports Council may, in consultation with District Sports Council and the local authorities concerned, by notification, constitute with effect from such date, as may be specified in the notification,-
- (a) a Corporation Sports Council in the Municipal Corporation area;
 - (b) a Municipal Sports Council in the Municipal Council area;
 - (c) a Town Sports Council in the Municipal Committee area;
 - (d) a Block Sports Council in the Block Panchayat Samiti area.
- Corporation Sports Council.** **16.** (1) The Corporation Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-III. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter composition of the Corporation Sports Council.
- (2) The Vice-President shall be nominated by the President of the State Sports Council. The Vice-President shall discharge such duties, as may be entrusted to him by the President and shall preside over the meetings of the Corporation Sports Council in the absence of the President.
- (3) The President of the Corporation Sports Council shall nominate in consultation with the Vice-President, nominated members of the Corporation Sports Council.
- Executive Committee of Corporation Sports Council.** **17.** There shall be an Executive Committee for every Corporation Sports Council consisting of its President, Vice-President, Secretary and two members of whom one shall be a woman, out of the nominated members of the Corporation Sports Council for the day-to-day administration of its affairs. The members of the Executive Committee shall be nominated by the President of the Corporation Sports Council in consultation with the Vice-President of the Corporation Sports Council.
- Municipal Sports Council.** **18.** (1) The Municipal Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-IV. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter composition of the Municipal Sports Council.
- (2) The Vice-President shall be nominated by the President of the State Sports Council. The Vice-President shall discharge such duties, as may be entrusted to him by the President and shall preside over the meetings of the Municipal Sports Council in the absence of the President.
- (3) The President of the Municipal Sports Council shall nominate in consultation with the Vice-President, nominated members of the Municipal Sports Council.
- Executive Committee of Municipal Sports Council.** **19.** There shall be an Executive Committee for every Municipal Sports Council consisting of its President, Vice-President, Secretary and two members of whom one shall be a woman, out of the nominated members of the Municipal Sports Council. The members of the Executive Committee shall be nominated by the President of the Municipal Sports Council in consultation with the Vice-President of the Municipal Sports Council.
- Town Sports Council.** **20.** (1) The Town Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-V. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter composition of the Town Sports Council.
- (2) The President of the Town Sports Council shall nominate the nominated members of the Town Sports Council.
- Executive Committee of Town Sports Council.** **21.** There shall be an executive committee for every Town Sports Council consisting of its President, Secretary and two members to be nominated by the President of the Town Sports Council of whom one shall be a woman.
- Block Sports Council.** **22.** (1) The Block Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-VI. The State Government may, by notification add, modify, rescind and alter composition of Block Sports Council.

(2) The Vice-President shall be nominated by the President of the State Sports Council. The Vice-President shall, discharge such duties, as may be entrusted to him by the President and shall preside over the meetings of the Block Sports Council in the absence of the President.

(3) The President of the Block Sports Council shall nominate in consultation with the Vice-President, nominated members of the Block Sports Council.

23. There shall be an Executive Committee for every Block Sports Council consisting of its President, Vice-President, Secretary and two members of whom one shall be a woman, out of the nominated members of the Block Sports Council. The members of the Executive Committee shall be nominated by the President of the Block Sports Council in consultation with the Vice-President of the Block Sports Council.

Executive
Committee of
Block
Sports Council.

24. (1) The Secretary of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall,-

Duties and
functions of
Secretary of
other Sports
Council.

- (i) give effect to the resolution of the respective Sports Council and its Executive Committee;
- (ii) be responsible for the safe custody of the fund of respective Sports Council;
- (iii) maintain and keep the accounts of receipts and expenditure of the respective Sports Council;
- (iv) examine and cause to be audited the statement and accounts of the respective Sports Council; and
- (v) submit returns, accounts, statements or other details, whenever required by the District Sports Council or any audit authority.

(2) The Secretary of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall exercise such powers and perform such duties, as may be conferred or imposed upon him by the President of the respective Sports Council.

25. The Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall perform the following functions, namely: -

Functions of
other
Sports Council.

- (a) co-ordinate the activities of the registered sports organizations and sports clubs within their jurisdiction;
- (b) organize sports events or competitions or tournaments within their area of jurisdiction; and
- (c) perform such other functions, as may be entrusted to it by the District Sports Council.

26. (1) Every member other than the ex-officio members shall hold office for a period of three years from the date of his nomination:

Term of office of
members.

Provided that the term of office of the student representatives nominated to the Corporations Sports Council, the Municipal Sports Council and the Town Sports Council shall be one year from the date of their nomination.

- (2) No person shall be nominated as a member for more than two consecutive terms.

27. (1) Every Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall meet at least twice in a year.

Meetings of
other Sports
Council.

- (2) One-third of the total number of its members shall be the quorum for a meeting.

28. (1) If a dispute arises in respect of any matter under the provisions of this Act or rules made thereunder between two or more Sports Councils or between Sports Council and sportsman or between two or more sportspersons or between two or more sports organizations or between sports organization and sportspersons of a district or between a sports organization and any sports council within the district, the District Sports Council shall have power to settle dispute.

Settlement of
disputes between
Councils,
sportspersons and
sports
organizations.

(2) Any sportsperson, organization, sports club and Sports Council aggrieved by any decision taken by a District Sports Council under this Act or the rules made thereunder, may appeal to the Appellate Tribunal, within such time and in such manner, as may be prescribed and the decision of the Appellate Tribunal thereon shall be final.

Sports Promotion Boards.

29. (1) For the purpose of promotion of sports among civil services, there shall be a Civil Services Sports Promotion Board under the chairmanship of the Chief Secretary, Haryana with following members, namely:-

- (i) Administrative Secretary, Finance Department, Haryana;
- (ii) Administrative Secretary, Home Department, Haryana;
- (iii) Administrative Secretary, Sports and Youth Affairs Department, Haryana, Vice-Chairman;
- (iv) Director General Police, Haryana;
- (v) Director, Sports and Youth Affairs, Haryana-Member Secretary;
- (vi) Two members to be nominated by the Chairman, Civil Services Sports Promotion Board from among the recognized employees associations office bearers or recognized sports bodies of employees.

(2) For the purpose of promotion of sports among civil services, the State Government may, by notification, decide contribution to be made by each employee to the Civil Services Sports Promotion Board.

(3) The Civil Services Sports Promotion Board shall regulate its own procedure and activities.

(4) For the purpose of promotion of sports among employees, any notified Government department and public sector undertaking of the State Government may constitute a Sports Promotion Board in consultation with State Sports Council.

(5) The concerned public sector undertaking shall earmark such funds for carrying out activities of the respective Sports Promotion Board, as may be prescribed.

(6) The Sports Promotion Boards shall function in collaboration with the State Sports Council.

(7) For the purpose of promotion of sports and physical fitness among students of various institutions, the State Government may, by notification, constitute Sports Promotion Boards for School Education, Higher Education, Medical Education, Industrial Training Institutes, Technical Education etc. either jointly or separately for each category.

CHAPTER V

REGISTRATION OF SPORTS ORGANIZATION AND SPORTSPERSONS

Registration of sports organization.

30. (1) Any sports organization carrying activities at the State level or district level may be registered with the State Sports Council as a registered sports organization under this Act and any application for such registration shall be submitted to the District Sports Council of the district in which its headquarters is situated, in such form and subject to such terms and conditions, as may be prescribed with a view to provide grants to the sports organizations for organizing coaching, competitions, training and other sports related activities.

(2) The District Sports Council shall consider the application and if satisfied that the conditions for granting recognition have been complied with, the application shall be submitted alongwith its recommendation for registration to the State Sports Council within sixty days from the date of receipt of application.

(3) If the application is not sent to the State Sports Council within the time limit specified in sub-section (2) with such recommendation or the application is rejected, the District Sports Council shall inform the applicant in writing within seventy-five days from the date of receipt of the application.

(4) On receipt of an intimation under sub-section (3), the applicant may within thirty days submit such application direct to the State Sports Council.

(5) The State Sports Council shall consider an application received under sub-section (2) or sub-section (4) and if satisfied such sports organization shall be registered.

(6) Any person aggrieved by any decision of the District Sports Council or the State Sports Council, as the case may, with regard to the registration of a sports organization, may file an appeal before the Appellate Tribunal alongwith such fee, within such time and in such manner, as may be prescribed and the decision of the Appellate Tribunal thereon shall be final.

(7) The sports clubs functioning only in the area of any Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Committee or Block Panchayat Samiti may register as a sports club with the concerned Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council or Block Sports Council, as the case may be.

(8) Any application for registration under sub-section (7) shall be submitted to the concerned sports council in such form and in such manner and subject to such terms and conditions, alongwith such fee, as may be prescribed.

(9) Any application received under sub-section (8) shall be considered by the concerned sports council and if satisfied that the conditions required for such registration have been complied with, such sports club shall be registered or otherwise the fact of refusal of the application shall be intimated to the applicant.

(10) Any person aggrieved by a decision taken under sub-section (9), may appeal to the concerned District Sports Council, within such time and in such manner alongwith such fee, as may be prescribed.

(11) The terms and conditions for the registration of sports organization and the withdrawal of such registration and the procedure to be followed by the District Sports Council and the State Sports Council in granting such registration and the privileges of such registered sports organization shall be such, as may be prescribed.

31. (1) Any sportsperson may register as a sportsperson in the District Sports Council and any application for such registration shall be submitted to the District Sports Council in such manner and subject to such terms and conditions, as may be prescribed to avail benefits, cash award, prizes and other facilities.

Registration of sportsperson.

(2) The terms and conditions for registration as sportsperson and the procedure to be followed by the District Sports Council in this behalf and the privileges of such sportspersons shall be such, as may be prescribed.

(3) Any person aggrieved by any decision of the District Sports Council, with regard to the registration of sportsperson, may file an appeal before the Appellate Tribunal within such time and in such manner alongwith such fees, as may be prescribed and the decision of the Appellate Tribunal thereon shall be final.

CHAPTER VI

DISSOLUTION OF EXISTING DISTRICT SPORTS COUNCILS

32. (1) On the commencement of this Act, the existing District Sports Council of the concerned district shall be deemed to have been dissolved.

Dissolution of existing Sports Councils.

(2) All assets and rights of whatever kind used, enjoyed or possessed by and all interests of whatever kind owned by or vested in or held by the existing District Sports Council shall subject to such directions, as may be issued by the State Government in this behalf, vest in the concerned District Sports Council.

(3) Upon the constitution of the respective District Sports Council under this Act, every officer or other employee employed in connection with the affairs of the existing District Sports Council shall become an officer or other employee of the concerned District Sports Council and shall hold his office for the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held under the existing District Sports Council, if this section had not been enacted and shall continue to hold office unless and until his employment in the District Sports Council is terminated.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), any officer of State Government deputed for employment in connection with the affairs of the existing District Sports Council and employed as such immediately before the date of commencement of this Act shall stand reverted to the service of the Government.

**CHAPTER VII
FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT**

- Grants by State Government. **33.** The State Government shall pay to the State Sports Council, by way of grants such sum of money, as it may think fit, for carrying out the purposes of this Act. The State Government may place funds at the disposal of State Sports Council or a District Sports Council for organizing coaching, training, competitions, sports events, equipment and seminars either on lump sum basis or activity specific out of the budget allocation.
- State Sports Council Fund. **34.** (1) The State Sports Council shall establish a fund to be called the State Sports Council Fund and the following shall be credited thereto,-
 (a) all sums of money given by the State Government under section 33;
 (b) any grants or donations made to the State Sports Council by any other person;
 (c) any amount received by the State Sports Council from any other source.
 (2) The State Sports Council Fund shall be applied for meeting,-
 (a) the expenses in connection with the functioning of the State Sports Council; and
 (b) any other expenses which are required to be met by the State Sports Council.
- District Sports Council Fund. **35.** (1) Every District Sports Council shall constitute a fund to be called the District Sports Council Fund and shall be credited thereto,-
 (a) all sums of money paid or any grants made by the State Sports Council to the District Sports Council;
 (b) any grants or donations made to the District Sports Council by any person or local self-government institutions or other organizations;
 (c) any other amount received by the District Sports Council from any other source.
 (2) A District Sports Council Fund shall be applied for meeting,-
 (a) the expenses in connection with the functioning of the District Sports Council;
 (b) the expenses in connection with the functioning of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council;
 (c) any other expenses which are required to be borne by the District Sports Council.
- Constitution of funds for Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council, etc. **36.** (1) Each Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council, as the case may be, shall constitute a fund in its name and shall be credited to such fund the amount received for any special purpose in addition to the amount received from the District Sports Council.
 (2) The fund constituted under sub-section (1) shall be kept, applied and audited in such manner, as may be prescribed.
- Budget. **37.** (1) Every Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall, in every year, prepare in such form and within such time, as may be prescribed, a budget for the next financial year showing the estimated receipt and expenditure during that financial year and forward copy of the same to the concerned District Sports Council.
 (2) After considering the budget estimates under sub-section (1), the District Sports Council shall prepare in such form and within such time, as may be prescribed, a budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure during the financial year and forward a copy of the same to the State Sports Council.
 (3) The State Sports Council shall prepare its budget estimate, considering the budget estimates forwarded to it by the District Sports Councils and forward the same to the State Government, within such time, as may be prescribed.
 (4) On receipt of the budget forwarded to it under sub-section (3), the State Government shall examine the same and suggest such alterations, corrections or modifications to be made therein, as it may think fit and forward such suggestions to the State Sports Council for its consideration.

(5) The State Sports Council shall, in accordance with the suggestions, if any, given by the State Government under sub-section (4), before the 31st March of every year incorporate in its budget and in the budget of the District Sports Councils alteration, corrections or modifications, and the budget so altered, corrected or modified, shall be passed by the State Sports Council.

38. (1) The State Sports Council or the District Sports Council, as the case may be, shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the income and expenditure and balance sheet, in such form and in such manner, as may be prescribed.

Accounts and audit.

(2) The accounts of the Council shall be examined and audited by the Director, Local Fund Accounts in accordance with the relevant provisions.

(3) The audited statement of accounts and working report of the State Sports Council shall be forwarded to the State Government before the 31st July of ensuing year and as soon as possible, it shall be laid before the Legislative Assembly by the State Government.

39. The State Sports Council may, with the previous sanction of the State Government, as regards the purpose and amount of loan and subject to such conditions, as may be specified by the State Government, as to security and rate of interest, borrow any sum of money from any Scheduled Bank or Co-operative Bank or any other corporate body.

Power to borrow.

CHAPTER VIII APPELLATE TRIBUNAL

40. (1) The State Government shall, by notification, constitute an Appellate Tribunal for settling any dispute, question or any other matter and for taking decision on disputes under this Act between,-

Constitution of Appellate Tribunal.

- (a) State Sports Council and District Sports Council;
- (b) State Sports Council and sports person;
- (c) State Sports Council and sports organization;
- (d) District Sports Council and sports person;
- (e) District Sports Council and sports organization;
- (f) Sports Organization and sports person.

(2) The Tribunal shall consist of,-

- (a) the Law Secretary, ex-officio, who shall be the Chairman of the Tribunal;
- (b) a person qualified to be appointed as a District Judge to be nominated by the State Government as member;
- (c) an expert in sports to be nominated by the State Government as member.

(3) The term of office and other conditions of service of the members of the Appellate Tribunal other than the ex-officio member shall be such, as may be prescribed.

(4) The Appellate Tribunal shall be deemed to be a civil court and shall have the same powers as may be exercised by a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908) while trying a suit or executing a decree or order.

(5) The decision of the Appellate Tribunal shall be final and binding on the parties to the appeal.

(6) The execution of any decision of the Appellate Tribunal by the Civil Court to which such decision is sent for execution shall be made in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 (Central Act 5 of 1908).

41. No suit or other legal proceedings shall lie in any civil court, in respect of any dispute, question or other matter which is required by or under this Act to be determined by the Appellate Tribunal.

Bar of jurisdiction of civil court.

Bar to enforcement of right on behalf of unregistered sports organization and sportsperson.

42. No suit, appeal or other legal proceedings for the enforcement of any right on behalf of any sports organization or by a sports person, which or who, as the case may be, has not been registered in accordance with the provisions of this Act shall be instituted, commenced, heard, tried or decided by the Appellate Tribunal after the commencement of this Act and no such suit, appeal or other legal proceeding shall be continued, heard, tried or decided by any court, after such commencement, unless such sports organization or sports person has been registered in accordance with the provisions of this Act.

CHAPTER IX

OFFICERS AND STAFF

Appointment of officers and staff.

43. (1) The Secretary of the State Sports Council for exercising the powers, other duties and functions of the council, appoint such officers and staff for the councils with the prior approval of State Government, as may be required:

Provided that in all appointments to be made directly, such percentage of posts, as may be prescribed, shall be reserved for sportspersons.

(2) The State Sports Council may, with the previous approval of the State Government, appoint on deputation basis any employee of the State Government or its organization or Central Government or its organization, as an employee of the State Sports Council or the District Sports Council, on such terms and conditions, as it thinks fit.

(3) Except as provided in this section, the appointment and conditions of service of the officers and employees of the State Sports Council and the District Sports Council shall be such, as may be prescribed.

CHAPTER X

MISCELLANEOUS

Removal of members.

44. (1) A member may, by writing under his hand, addressed to the State Government, resign from his office at any time.

(2) The State Government shall remove a member if he,-

- (a) becomes an undischarged insolvent; or
- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or
- (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (d) refuses to act or becomes incapable of acting; or
- (e) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of member as to render that person's continuance in office detrimental to the objects of this Act:

Provided that no person shall be removed under this sub-section until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(3) A vacancy caused under sub-section (1) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

Power to make rules.

45. (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) nomination of members by the State Sports Council or the District Sports Councils;
- (b) resignation of members and filling up of consequent vacancies and other casual vacancies;
- (c) maintenance of accounts by the State Sports Council and the District Sports Council and the publication of audited statement of accounts and the reports of auditors;

- (d) restrictions and conditions, subject to which the State Sports Council or the District Sports Council may enter into contract or hold or dispose of property;
- (e) powers, duties and functions of the Secretary and Standing Committee of the State Sports Council and the District Sports Council;
- (f) manner in which the meeting of State Sports Council, District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council, Block Sports Council etc. shall be summoned and procedure of such meeting and other related matters;
- (g) conditions of service of the officers and staff of the State Sports Council and the District Sports Council;
- (h) constitution of Sports Promotion Board by public sector undertakings, activities of Sports Promotion Board and funds to be earmarked for carrying out its activities;
- (i) registration of sports organization under State Sports Council and District Sports Council;
- (j) registration of individuals as recognized sports persons in State or District;
- (k) constitution of funds by Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council;
- (l) preparation of budget and the manner and time limit for submission to the District Sports Council or State Sports Council or State Government, as the case may be;
- (m) procedure to be followed by the Appellate Tribunal;
- (n) terms and conditions of service of the members of the Appellate Tribunal;
- (o) terms and conditions of appointment and service of the offices and employees of the State Sports Council and the District Sports Council;
- (p) any other matter which is required to be or may be prescribed under this Act.

46. (1) The State Sports Council may, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and with the previous approval of the State Government, by notification, make regulations, generally to carry out the purposes of this Act.

Power of State Sports Council to make regulations.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) conditions and procedure for the affiliation of Sports Clubs;
- (b) standards, qualifications and conditions for conducting or organizing any sport or game or tournament or sports event;
- (c) establishment of sports organizations and maintenance of play grounds;
- (d) functions and powers of the District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council;
- (e) acceptance of donations and endowments and its management;
- (f) any other matter which under this Act is to be, or may be provided for by regulations.

47. Every member and the officers and staff appointed under this Act while exercising any power or performing any duty under this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the India Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

Members and staff etc. to be public servants.

48. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Removal of difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

Schedule-I*(see section 3)*

Composition of State Sports Council

Official Members

- (a) Chief Minister, Haryana, President;
- (b) Sports and Youth Affairs Minister, Vice-President;
- (c) Finance Minister, Member;
- (d) Education Minister, Member;
- (e) Development and Panchayat Minister, Member;
- (f) Health Minister, Member;
- (g) Chief Secretary, Member;
- (h) Principal Secretary to Chief Minister, Member;
- (i) Administrative Secretary, Home Department, Member;
- (j) Administrative Secretary, Finance Department, Member;
- (k) Administrative Secretary, Higher Education Department, Member;
- (l) Administrative Secretary, School Education Department, Member;
- (m) Administrative Secretary, Development and Panchayat Department, Member;
- (n) Administrative Secretary, Town and Country Planning Department, Member;
- (o) Administrative Secretary, Urban Local Bodies Department, Member;
- (p) Administrative Secretary, Sports and Youth Affairs Department, Member;
- (q) Administrative Secretary, Health Department, Member;
- (r) Director General of Police, Member.

Nominated Members

- (a) Executive Vice-President from among person having sports background;
- (b) two members from among the members of Legislative Assembly;
- (c) two members from among Vice-Chancellors of Universities in the State;
- (d) President/Secretary, Haryana Olympic Association;
- (e) two Presidents/Secretaries from among the recognized State Sports Organizations/Associations;
- (f) two members from among the NGOs working for promotion of sports in the State;
- (g) one member from Director, Sports or Physical Education of a University in the State;
- (h) two members from experts in sports medicine/sports injury management/sports psychology;
- (i) two members from sports experts/awardees/medal winners in the International events of whom one shall be a woman;
- (j) one member from Sports Journalism;
- (k) two woman members having interest in sports promotion;
- (l) two members from the industry interested in promotion of sports.

Schedule-II*(see section 9)*

Composition of District Sports Councils

Ex-officio Members

- (a) Deputy Commissioner; who shall be the President of the District Sports Council;
- (b) Representative of Commissioner Police not below the rank of Deputy Commissioner of Police/District Superintendent of Police;
- (c) President of the Zila Parishad;
- (d) Superintending Engineer/Executive Engineer (Buildings and Roads) of the Public Work Department;
- (e) Principals of the Government Colleges;
- (f) District Education Officer;
- (g) District Elementary Education Officer;
- (h) Mayor of Municipal Corporation;;
- (i) District Information and Public Relations Officers;
- (j) Chief Medical Officer;
- (k) Programme Officer Women and Child Development;
- (l) District Sports and Youth Affairs Officer-Secretary of the District Sports Council.

Nominated Members

- (a) Vice-President from among the persons having sports background;
- (b) Secretary of District Olympic Association;
- (c) Four members from recognized District Sports Organizations/Associations affiliated to any recognized State Sports Organization/Association;
- (d) One member from the Chairpersons of Municipal Council/Municipal Committees of the concerned district;
- (e) One member from the Presidents of Block Panchayat Samiti within the district;
- (f) Two members from the Sarpanches of Village Panchayat within the district out of which one shall be a woman Sarpanch;
- (g) One Physical Education Instructor from the colleges within the district;
- (h) One male student and one female student from within the district having State level achievements in sports;
- (i) One Registered Medical Practitioner having sufficient expertise in sports medicine;
- (j) Two sports persons having International or National level achievements in sports of whom one shall be a woman.

Schedule-III*(see section 16)***Composition of Corporation Sports Councils****Ex-officio Members**

- (a) Mayor of the Municipal Corporation, who shall be the President of the Corporation Sports Council;
- (b) Municipal Commissioner of the Municipal Corporation;
- (c) Chief Engineer/Superintendent Engineer/(senior most) of the Municipal Corporation;
- (d) Estate Officer HUDA;
- (e) the Secretary of the Municipal Corporation, who shall be the Secretary of the Corporation Sports Council;
- (f) Principals of Colleges within the Municipal Corporation area;
- (g) Deputy District Educational Officer;
- (h) District Sports Officer.

Nominated Members

- (a) Vice-President of Corporation Sports Council from among persons in the corporation area having interest in sports;
- (b) two members from persons having achievements to their credit in sports of whom one shall be a woman;
- (c) two members from sports person students - one male student and one female student within the Municipal Corporation area having achievements to their credit in sports competitions;
- (d) two members from the physical Education teachers within the Municipal Corporation area of whom one shall be from college and the other shall be from school;
- (e) three members from the Councillors of Municipal Corporation of whom one shall be a woman and one shall be a person belonging to Scheduled Caste;
- (f) two members from the office bearers of sports organizations and clubs registered with the Corporation Sports Council;
- (g) two members from Principals of the schools running in the corporation area.

Schedule-IV*(see section 18)***Composition of Municipal Sports Councils****Ex-officio Members**

- (a) Chairperson of the Municipal Council; who shall be the President of the Municipal Sports Council;
- (b) Executive Engineer/Assistant Engineer of the Municipal Council area;
- (c) Deputy District Education Officer;
- (d) the Secretary of the Municipal Council, who shall be the Secretary of Municipal Sports Council;
- (e) Tehsildar having jurisdiction over the Municipal Council area.

Nominated Members

- (a) Vice-President of the Municipal Sports Council from among the persons of the Municipal Council area having interest in sports;
- (b) two members from persons having achievements to their credit in sport of whom one shall be a woman;
- (c) two members from sports person students-male student and one female student having achievements to their credit in Sports;
- (d) one member from Physical Education Teacher;
- (e) three members from the Municipal Councilors of whom one shall be a woman and one shall be a person belonging to Scheduled Caste;
- (f) two members from the office bearers of sports organizations registered with the Municipal Sports Council.

Schedule-V*(see section 20)***Composition of Town Sports Councils****Ex-officio Members**

- (a) President of the Municipal Committee, who shall be its President;
- (b) Assistant Engineer/Junior Engineer of Municipal Committee area;
- (c) Block Educational Officer;
- (d) the Secretary of the Municipal Committee, who shall be the Secretary of Town Sports Council;
- (e) Tehsildar having jurisdiction over the Municipal Committee area;
- (f) One Principal of a school running in Municipal Committee area.

Nominated Members

- (a) two members from persons having achievements to their credit in sport of whom one shall be a woman;
- (b) two members from sports students - male student and one female student having achievements to their credit in Sports;
- (c) two members from Physical Education Teachers;
- (d) three members from the Councilors of Municipal Committee of whom one shall be a woman and one shall be a person belonging to Scheduled Caste;
- (e) two members from the office bearers of sports organizations and clubs registered with the Municipal Committee.

Schedule-VI*(see section 22)***Composition of Block Sports Councils****Ex-officio Members**

- (a) President of the Block Panchayat Samiti, who shall be the Chairperson of the Block Sports Council;
- (b) Block Development and Panchayat Officer of the Block Panchayat Samiti, who shall be the Secretary of the Block Sports Council;
- (c) Assistant Engineer, Panchayati Raj of the Block Panchayat Samiti;
- (d) Senior Medical Officer of the Community Health Centre having jurisdiction over the headquarters of the Block Sports Council;
- (e) Block Educational Officer having jurisdiction over the headquarters of the Block Sports Council.

Nominated Members

- (a) Vice-President of Block Sports Council from among persons in the Panchayat Samiti area having interest in sports;
- (b) two members from Physical Education Teachers nominated by the Block Panchayat Samiti;
- (c) two members from the office bearers of the Parent-Teacher Associations of the Schools situated in the Block Panchayat Samiti;
- (d) two members from persons having achievements to their credit in sports nominated by the Block Panchayat Samiti of whom one shall be a woman;
- (e) three members from the members of the Block Panchayat Samiti of whom one shall be a woman and one shall be a person belonging to Scheduled Caste;
- (f) two members from the Presidents of Sports Organizations and Clubs registered with the Block Panchayat Samiti.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of Haryana recognizes that physical activities and sports are integral parts of Haryana culture and society. Sports benefit us in terms of health, social cohesion, economic activity, cultural enrichment and improved quality of life. The Government of Haryana aims to increase awareness among Haryana residents regarding significant benefits of physical activity and the practice of sports. The Government of Haryana wishes to encourage and assist residents in increasing level of physical activity and their participation in sports as a fundamental premise of health and well-being by integrating physical activity and sports into their daily lives. Government of Haryana takes pride in being the foremost promoter of sports in the country. It reiterates its commitment to promote participation, inclusion and excellence in sports at all levels. In view of this Haryana Sports and Physical Fitness Policy -2015 is founded on the highest ethical standards and values. As per Haryana Sports and Physical Fitness Policy-2015, for promotion of sports and physical fitness, to augment athletic efficiency in the state and to promote the concept of 'Sports for All', statutory sports councils at state level, district level, block level, municipal corporation level, municipal council level and municipal committee level are intended to be constituted. The respective sports councils shall be responsible for coaching, competitions and other sports related activities.

In view of above statutory sports councils at state level, district level, block level, municipal corporation level, municipal council level and municipal committee level are to be constituted.

ANIL VIJ,
Sports & Youth Affairs Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 25th August, 2016.

R.K.NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

As per section 45 of the proposed Act empowers State Government to make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2016 का विधेयक संख्या 21—एच०एल०ए०

हरियाणा क्रीड़ा परिषद् विधेयक, 2016
हरियाणा राज्य में क्रीड़ा, खेल, योग तथा शारीरिक समर्थता की प्रोन्नति के लिए,
खेलकूद दक्षता के संवर्धन के लिए, 'सभी के लिए क्रीड़ा' की धारणा प्रोन्नत
करने के लिए, राज्य स्तर, जिला स्तर तथा स्थानीय स्तर पर
क्रीड़ा परिषद् गठित करने के लिए और
उनसे प्रासंगिक या आनुषंगिक
मामले के लिए उपबन्ध
करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय—I
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा क्रीड़ा परिषद् अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।
 (2) यह तुरन्त लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "अपील अधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 40 के अधीन गठित अपील अधिकरण ;
- (ख) "पुरस्कार विजेता" से अभिप्राय है, कोई खिलाड़ी जिसे राज्य सरकार द्वारा यथा मान्यताप्राप्त राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया है ;
- (ग) "खण्ड क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 22 के अधीन गठित कोई खण्ड क्रीड़ा परिषद्;
- (घ) "निगम क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 16 के अधीन गठित कोई निगम क्रीड़ा परिषद्;
- (ङ) "जिला" से अभिप्राय है, कोई राजस्व जिला ;
- (च) "जिला क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 9 के अधीन गठित कोई जिला क्रीड़ा परिषद्;
- (छ) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्राय है, कोई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, पॉलीटेकनिक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ऐसा अन्य संस्थान जहां शिक्षा किसी वैज्ञानिक, तकनीकी या कला विषयों में प्रदान की जाती है या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य संस्था ;
- (ज) "विद्यमान क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, या तो राज्य स्तर या जिला स्तर पर विद्यमान क्रीड़ा परिषद् ;
- (झ) "सदस्य" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद्, खण्ड क्रीड़ा परिषद् या कोई अन्य क्रीड़ा प्रोन्नति निकाय, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य ;
- (ञ) "नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 18 के अधीन गठित कोई नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् ;
- (ट) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित ;
- (ठ) "पंजीकृत क्रीड़ा संगठन" से अभिप्राय है, राज्य क्रीड़ा परिषद् से पंजीकृत कोई क्रीड़ा संगठन ;
- (ड) "मान्यताप्राप्त क्रीड़ा शिक्षण" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा मान्यताप्राप्त क्रीड़ा शिक्षण ;
- (ढ) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम ;
- (ण) "क्रीड़ा" में पारंपरिक क्रीड़ा, आत्म-रक्षा कौशल, साहसिक क्रीड़ा, मार्शल आर्ट्स सहित ऐसी बाहरी और भीतरी क्रीड़ा, खेल, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियां शामिल होंगी तथा

- कोई अन्य शारीरिक या मानसिक गतिविधि शामिल होगी, जैसा राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;
- (त) "खिलाड़ी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो मान्यताप्राप्त क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में जिला, राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा शिक्षण में भाग लेता है ;
- (थ) "क्रीड़ा क्लब" से अभिप्राय है, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद्, खण्ड क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, से पंजीकृत कोई क्रीड़ा निकाय ;
- (द) "क्रीड़ा संगठन" से अभिप्राय है, तत्समय लागू विधि के अनुसार गठित तथा क्रीड़ा और खेल की प्रोन्नति हेतु लिखित संविधान रखने वाला कोई संगठन तथा इसमें राज्य और जिला स्तर पर मान्यताप्राप्त क्रीड़ा शिक्षण के सभी क्रीड़ा संघ शामिल हैं ;
- (ध) "स्थायी समिति" से अभिप्राय है, धारा 8 के अधीन गठित स्थायी समिति ;
- (न) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
- (प) "राज्य क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य क्रीड़ा परिषद्;
- (फ) "नगर क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 20 के अधीन गठित कोई नगर क्रीड़ा परिषद् ।

अध्याय-II

राज्य क्रीड़ा परिषद्

3. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से तीन वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा राज्य क्रीड़ा परिषद् कही जाने वाली राज्य क्रीड़ा परिषद् गठित करेगी।

राज्य क्रीड़ा परिषद्।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद् को चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जन, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाली उक्त नाम से निगमित निकाय होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित की जाएगी और राज्य क्रीड़ा परिषद् की शासकीय निकाय भी होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखंडित या परिवर्तित कर सकती है।

(4) राज्य क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् की शासकीय निकाय द्वारा उन्हें प्रत्योजित की जाएं।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न राज्य क्रीड़ा परिषद् का प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु किसी विशेष निकाय के सदस्य के रूप में या किसी विशेष पद धारक के रूप में अपनी हैसियत में नामनिर्दिष्ट कोई भी सदस्य उसके ऐसे सदस्य या ऐसे पद धारक के रूप में न रहने के बाद तीन मास की अवधि से अधिक सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा, जब तक वह दोबारा ऐसी अवधि के भीतर ऐसा सदस्य या ऐसा पद धारक नहीं बन जाता है।

(6) राज्य क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद् में नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(7) कार्यकारी उपाध्यक्ष पूर्णकालिक आधार पर कार्य करेगा और ऐसे मानदेय तथा अन्य सुविधाएं, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएं, दी जाएंगी।

4. (1) प्रशासकीय सचिव, क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम विभाग, राज्य क्रीड़ा परिषद् का पदेन महासचिव होगा। राज्य सरकार किसी अधिकारी, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को राज्य क्रीड़ा परिषद् के सचिव के रूप में ऐसे कार्य, जो उसे महासचिव द्वारा सौंपे जाएं, करने के लिए नियुक्त कर सकती है तथा महासचिव की अनुपस्थिति या रिक्ति की दशा में उसके कार्यों का निर्वहन करेगा।

राज्य क्रीड़ा परिषद् का महासचिव।

(2) राज्य सरकार, राज्य सरकार में किसी राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार विजेता या पदक विजेता को राज्य क्रीड़ा परिषद् के संयुक्त सचिव के रूप में राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा सौंपे गए कार्य करने के लिए पदाभिहित कर सकती है और अनुपस्थिति या रिक्ति की दशा में महासचिव के कार्यों का निर्वहन करेगा।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् के पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन, महासचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और राज्य क्रीड़ा परिषद् तथा जिला क्रीड़ा परिषद् के कर्मचारियों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (i) राज्य क्रीड़ा परिषद् और स्थायी समिति के संकल्पों का कार्यान्वयन करना;
- (ii) राज्य क्रीड़ा परिषद् और स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत व्यय उठाना;
- (iii) राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्राधिकृत सभी व्यय के लिए चैक या नगदी द्वारा भुगतान करना;
- (iv) राज्य क्रीड़ा परिषद् की निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होना;
- (v) राज्य क्रीड़ा परिषद् की आय और व्यय के लेखे रखना तथा बनाना;
- (vi) राज्य क्रीड़ा परिषद् और स्थायी समिति की बैठकों तथा कार्यवाहियों के अभिलेख रखना ; तथा
- (vii) विवरणियां, लेखे, विवरण और अन्य ब्यौरे जब राज्य सरकार या प्राधिकृत लेखा-परीक्षक अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करना।

(4) महासचिव, अनुज्ञा से तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा परिसीमाओं जो स्थायी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यक्षीन, लिखित आदेश द्वारा राज्य क्रीड़ा परिषद् के सचिव या किसी कर्मचारी को उसके किन्हीं कृत्यों को सौंप सकता है।

राज्य क्रीड़ा
परिषद् के कार्य।

5. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य क्रीड़ा परिषद् निम्नलिखित शक्तियां रखेगी तथा कृत्य करेगी, अर्थात् :-

- (क) क्रीड़ाओं को आयोजित, समन्वयन और प्रोन्नत करना ;
- (ख) क्रीड़ा सूचना केन्द्र, स्टेडिया, मण्डप, खेल-मैदान, पार्क, बच्चों के पार्क, क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र, क्रीड़ा छात्रावास, क्रीड़ा संस्था स्थापित करना और भवनों, स्वीमिंग पूल और जिम्नास्टिक इत्यादि का निर्माण करना ;
- (ग) उसकी सभी या किन्हीं गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए सम्पत्तियों का अर्जन करना ;
- (घ) स्वयं या जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद्, खण्ड क्रीड़ा परिषद् के माध्यम से संचालित या आयोजित करना और जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् या खण्ड क्रीड़ा परिषद् के टूर्नामेन्टों, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कोचिंग केन्द्रों, छात्र-सहायता वृत्तियों या क्रीड़ाओं की प्रोन्नति के लिए यात्राओं में भागीदारी को सुनिश्चित करना;
- (ङ) खिलाड़ियों, कोचों तथा रैफरियों के लिए बीमा और दुर्घटना बीमा राशि, ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, रखना ;
- (च) खिलाड़ियों, शैक्षणिक संस्थाओं, क्रीड़ा संगठनों, क्रीड़ा क्लबों या क्रीड़ा संघों को ऋण या अन्यथा के रूप में सहायता प्रदान करना ;
- (छ) उनकी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए निधि एकत्रित करना;
- (ज) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्राज्य या स्थानीय स्तर पर राज्य में क्रीड़ाओं में प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध करना और संचालन करना ;
- (झ) क्रीड़ाओं की प्रोन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों को अनुदान या निधियां देना ;
- (ञ) क्रीड़ाओं के विकास के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित, प्रशासित और विनियमित करना ;
- (ट) क्रीड़ा सूचना केन्द्र स्थापित करना और क्रीड़ाओं से सम्बन्धित डाटा, सांख्यिकीय और सूचना इत्यादि को संकलित और एकत्रित करना;
- (ठ) क्रीड़ा मैगजिनों, पुस्तकों, शीर्षकों, बुलेटिनों और क्रीड़ाओं से सम्बन्धित अन्य सूचना प्रकाशित करना ;
- (ड) खिलाड़ियों के कल्याण के लिए स्कीमें बनाना और लागू करना ;

- (ढ) दिव्यांग खिलाड़ियों के कल्याण के लिए स्कीमें बनाना और लागू करना ;
- (ण) क्रीड़ाओं में मादक औषधियों के विरुद्ध उपाय प्रोन्नत करना ;
- (त) क्रीड़ाओं में योन शोषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाना ;
- (थ) कोई अन्य कार्य करना, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए साधक हो सके।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं, का निर्वहन करेगी।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों, जो इस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को स्थायी समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(4) राज्य क्रीड़ा परिषद् अधिनियम के अधीन गठित क्रीड़ा परिषदों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का प्रयोग करेगी तथा ऐसी परिषदों को निर्देश जारी करने के लिए सशक्त होगी, जो बाध्यकर होंगे।

6. (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी तथा गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी।

राज्य
परिषद्
बैठक।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, आवश्यक कारबार के संव्यवहार के लिए राज्य क्रीड़ा परिषद् की विशेष बैठक बुला सकता है।

(3) ऐसी शर्तें, जो विहित की जाएं, के अधीन और लिखित मांग, जो इसके कुल सदस्यों की एक तिहाई से कम न हो, पर अध्यक्ष आवश्यक मामलों के विचार-विमर्श के लिए राज्य क्रीड़ा परिषद् की विशेष बैठक बुलाएगा।

7. (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार पारित संकल्पों के माध्यम से अपने कारबार का संव्यवहार करेगी।

राज्य
परिषद्
की
प्रक्रिया।

(2) प्रत्येक संकल्प की प्रति उस संकल्प के पारित करने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

(3) राज्य सरकार, राज्य क्रीड़ा परिषद् से किसी संकल्प के बारे में कोई अभिलेख या सूचना मांग सकती है और राज्य क्रीड़ा परिषद् ऐसा अभिलेख या सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी।

(4) राज्य सरकार, राज्य क्रीड़ा परिषद् को युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद तथा उसके आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के बाद, राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा पारित किसी संकल्प को निलम्बित, रद्द या रूपान्तरित कर सकती है।

8. (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् के लिए स्थायी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

स्थायी समिति।

- (क) राज्य क्रीड़ा परिषद् का उपाध्यक्ष – स्थायी समिति का अध्यक्ष;
- (ख) जिला क्रीड़ा परिषद् का कार्यकारी उपाध्यक्ष – स्थायी समिति का उपाध्यक्ष;
- (ग) प्रशासकीय सचिव, क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम विभाग और राज्य क्रीड़ा परिषद् का महासचिव ;
- (घ) निदेशक, क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम विभाग ;
- (ङ) सचिव, राज्य क्रीड़ा परिषद् यदि नियुक्त या पदाभिहित किया गया हो ;
- (च) राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले चार सदस्य जिन में से एक क्रीड़ा संगठनों/ संघों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य होगा तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में क्रीड़ा विशेषज्ञ/ पुरस्कार विजेता/ पदक विजेता होगा। एक नामनिर्दिष्ट सदस्य महिला होगी।

(2) स्थायी समिति ऐसी रीति में, ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगी, जैसा स्थायी समिति का अध्यक्ष विनिश्चित करे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा उसको सौंपे जाएं।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा स्थायी समिति को सौंपी गई शक्तियों तथा सौंपे गए कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :-

- (i) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् में संविदा, मानदेय या नियत फीस आधार पर पद सृजित करना ;
 - (ii) जिला क्रीड़ा परिषद् में नियमित पद सृजित करना और चयन समितियां गठित करना;
 - (iii) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् की विभिन्न गतिविधियों के लिए सलाहकार लगाना ;
 - (iv) राज्य क्रीड़ा परिषद् के आयोजनों के कलैण्डर अनुमोदित करना ;
 - (v) राज्य क्रीड़ा परिषद् की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को मानीटर करना ;
 - (vi) जिला क्रीड़ा परिषद् पर पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करना ;
 - (vii) विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण कैम्प, टूर्नामेन्ट, कोचिंग कैम्प, प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित करने के लिए अनुमोदित करना ;
 - (viii) विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष अनुदान अनुमोदित करना ;
 - (ix) क्रीड़ा आयोजनों के दौरान चोटिल खिलाड़ियों को सहयोग और वित्तीय सहायता अनुमोदित करना ;
 - (x) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को साज-सामान के क्रय के लिए अनुदान अनुमोदित करना ;
 - (xi) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किट और वर्दी अनुमोदित करना ;
 - (xii) आकस्मिक संकट की दशा में विशेष कार्रवाई करना।
- (4) स्थायी समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।
 - (5) स्थायी समिति का अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा निर्वाहन किए जाने वाले कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकता है।
 - (6) कार्यकारी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

अध्याय—III

जिला क्रीड़ा परिषद्

जिला क्रीड़ा परिषद्।

9. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में, तीन वर्ष की अवधि के लिए जिला क्रीड़ा परिषद् कही जाने वाली निकाय का गठन करेगी।
- (2) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद्, चल तथा अचल सम्पत्तियों के अर्जन, धारण तथा व्ययन करने, संविदा करने और प्रयोजन जिसके लिए यह गठित की गई है, के लिए सभी मामलों को उचित और समीचीन करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा रखने वाला जिला जिसके लिए यह गठित की गई है के नाम से निगमित निकाय होगी तथा उस पर उक्त नाम से वाद चला सकेगी और उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।
- (3) जिला क्रीड़ा परिषद् अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित की जाएगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जिला क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है।
- (4) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद् के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) जिला क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा साधारण आदेश द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं या प्राधिकृत किए जा सकते हैं।
- (6) कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य अपनी हैसियत में किसी विशेष निकाय के सदस्य के रूप में या किसी विशेष धारक के रूप में उसके ऐसे सदस्य या ऐसे पद के धारक के रूप में न बना रहने के बाद तीन मास की अवधि से अधिक सदस्य के रूप में नहीं रहेगा जब तक वह दोबारा ऐसी अवधि के भीतर ऐसा सदस्य या ऐसा पद का धारक नहीं बन जाता है :

परन्तु नामनिर्दिष्ट पुरुष छात्र और महिला छात्रा की पदावधि नामनिर्देशन की तिथि से एक वर्ष होगी।

10. (1) जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला क्रीड़ा परिषद् का पदेन सचिव होगा। अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद् की सिफारिश पर स्थायी समिति जिला क्रीड़ा परिषद् के सचिव के रूप में किसी अन्य क्रीड़ा कर्मचारी को पदाभिहित कर सकती है।

जिला क्रीड़ा परिषद् का सचिव और संयुक्त सचिव।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, स्थायी समिति के अनुमोदन से, राज्य सरकार में किसी राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी पुरस्कार विजेता या किसी पदक विजेता को अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की दशा में सचिव के कृत्यों के निर्वहन के लिए या किसी अन्य कर्तव्य, जो उस द्वारा उसको सौंपा जाए, का पालन करने के लिए जिला क्रीड़ा परिषद् के संयुक्त सचिव के रूप में पदाभिहित कर सकता है।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् के पर्यवेक्षण के अधधीन, जिला क्रीड़ा परिषद् का सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और जिला क्रीड़ा परिषद् के कर्मचारियों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा।

(4) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधधीन, सचिव—

- (i) जिला क्रीड़ा परिषद् और इसकी कार्यकारी समिति के संकल्पों को प्रभाव देगा
- (ii) जिला क्रीड़ा परिषद् की निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ;
- (iii) जिला क्रीड़ा परिषद् की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को बनाएगा तथा रखेगा
- (iv) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् के विवरणों तथा लेखों की जांच करेगा और लेखा-परीक्षा करवाएगा;
- (v) विवरणियों, लेखों, विवरणों या अन्य ब्यौरे जब कभी राज्य सरकार या राज्य क्रीड़ा परिषद् या किसी लेखा-परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

(5) जिला क्रीड़ा परिषद् का सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो जिला क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

11. (1) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद्, राज्य क्रीड़ा परिषद् के ऐसे कृत्य, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा, समय-समय पर, उसको प्रत्यायोजित किए जाएं, का पालन करने का कर्तव्य होगा।

जिला क्रीड़ा परिषद् के कृत्य।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला क्रीड़ा परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

- (क) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् और जिले में अन्य क्रीड़ा संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करना;
- (ख) जिले में क्रीड़ा आयोजन, प्रतियोगिताएं या टूर्नामेन्ट आयोजित करना ;
- (ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य क्रीड़ा परिषद् साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) जिला क्रीड़ा परिषद् अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर-सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और क्रीड़ा तथा खेलों में लगे अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से उचित रीति में इसके कृत्यों का निर्वहन करेगी और लिखित में यथा प्राप्त राज्य क्रीड़ा परिषद् के निदेशों के अनुसार भी कार्य करेगी।

12. (1) जिला क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जिला क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य, जिन में एक महिला होगी, से मिलकर बनेगी।

जिला क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।

(2) कार्यकारी समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा, समय-समय पर उसको सौंपे जाएं।

(3) कार्यकारी समिति की बैठक की प्रक्रिया और गणपूर्ति ऐसी होगी, जो जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।

13. (1) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद् तिथियां जो जिला क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएं, को, वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक की एक वार्षिक बैठक होगी।

जिला क्रीड़ा परिषद् की बैठक।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जिला क्रीड़ा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा अध्यक्ष उसको, समय-समय पर, प्रत्यायोजित करे।

(3) अध्यक्ष, जब भी आवश्यक समझे, जिला क्रीड़ा परिषद् की विशेष बैठक आवश्यक कारबार के संव्यवहार के लिए बुला सकता है।

(4) ऐसी शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यक्ष, यदि जिला क्रीड़ा परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम एक—तिहाई सदस्य आवश्यक स्वरूप के मामलों के विचार—विमर्श हेतु लिखित में मांग करते हैं, तो जिला क्रीड़ा परिषद् की विशेष बैठक उसके अध्यक्ष द्वारा ऐसी मांग के पन्द्रह दिन के भीतर बुलाई जाएगी।

(5) जिला क्रीड़ा परिषद् की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यता की एक—तिहाई होगी।

जिला क्रीड़ा परिषद् की प्रक्रिया।

14. (1) जिला क्रीड़ा परिषद् ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार पारित संकल्प द्वारा अपने कारबार का संव्यवहार करेगी, जैसा राज्य क्रीड़ा परिषद् के साधारण आदेश द्वारा निर्देश किया जाए और ऐसे आदेशों की अनुपस्थिति में, जिला क्रीड़ा परिषद् स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(2) प्रत्येक संकल्प की प्रति राज्य क्रीड़ा परिषद् को, इसके पारित होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर, भेजी जाएगी।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद् से किसी संकल्प के बारे कोई अभिलेख या सूचना मंगवा सकती है और जिला क्रीड़ा परिषद् ऐसा अभिलेख या सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी।

(4) राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद् को युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद और इसके आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के बाद, जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा पारित किसी संकल्प को निलम्बित, रद्द या रूपान्तरित कर सकती है।

अध्याय—IV

अन्य क्रीड़ा परिषद्

क्रीड़ा परिषदों का गठन।

15. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रीड़ा से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन और लागूकरण के प्रयोजन हेतु, राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद् और सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, से,—

(क) नगर निगम क्षेत्र में कोई निगम क्रीड़ा परिषद् ;

(ख) नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में कोई नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् ;

(ग) नगरपालिका समिति क्षेत्र में कोई नगर क्रीड़ा परिषद् ;

(घ) खण्ड पंचायत समिति क्षेत्र में कोई खण्ड क्रीड़ा परिषद्, का गठन कर सकती है।

निगम क्रीड़ा परिषद्।

16. (1) निगम क्रीड़ा परिषद् अनुसूची—III में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निगम क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है।

(2) उपाध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। उपाध्यक्ष ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपे जाएं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निगम क्रीड़ा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) निगम क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के परामर्श से निगम क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

निगम क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।

17. प्रत्येक निगम क्रीड़ा परिषद् के लिए इसके कार्यकलापों के दिन—प्रतिदिन के प्रशासन हेतु इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और निगम क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों, जिन में से एक महिला होगी, से मिलकर कार्यकारी समिति बनेगी। कार्यकारी समिति के सदस्य निगम क्रीड़ा परिषद् के उपाध्यक्ष के परामर्श से निगम क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्।

18. (1) नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् अनुसूची—IV में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है।

(2) उपाध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। उपाध्यक्ष ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपे जाएं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के परामर्श से, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

- 19.** प्रत्येक नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के लिए इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों, जिनमें एक महिला होगी, से मिलकर कार्यकारी समिति बनेगी। कार्यकारी समिति के सदस्य नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के उपाध्यक्ष के परामर्श से नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।
- 20.** (1) नगर क्रीड़ा परिषद् अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगर क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है। नगर क्रीड़ा परिषद्।
- (2) नगर क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, नगर क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।
- 21.** प्रत्येक नगर क्रीड़ा परिषद् के लिए इसके अध्यक्ष, सचिव और नगर क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों, जिनमें एक महिला होगी, से मिलकर कार्यकारी समिति बनेगी। नगर क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।
- 22.** (1) खण्ड क्रीड़ा परिषद् अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खण्ड क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है। खण्ड क्रीड़ा परिषद्।
- (2) उपाध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। उपाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपे जाएं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में खण्ड क्रीड़ा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (3) खण्ड क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के परामर्श से, खण्ड क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।
- 23.** प्रत्येक खण्ड क्रीड़ा परिषद् के लिए इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और खण्ड क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों, जिनमें एक महिला होगी, से मिलकर कार्यकारी समिति बनेगी। कार्यकारी समिति के सदस्य खण्ड क्रीड़ा परिषद् के उपाध्यक्ष के परामर्श से खण्ड क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। खण्ड क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।
- 24.** (1) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् का सचिव,— अन्य क्रीड़ा परिषद् के सचिव के कर्तव्य और कृत्य।
- (i) अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् और इसकी कार्यकारी समिति के संकल्प को प्रभाव देगा;
- (ii) अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् की निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;
- (iii) अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को बनाएगा और रखेगा;
- (iv) अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् के विवरण और लेखों की जांच करेगा और लेखा-परीक्षा करवाएगा;
- (v) विवरणियां, लेखे, विवरण या अन्य ब्यौरे, जब भी जिला क्रीड़ा परिषद् या किसी लेखा-परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।
- (2) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् का सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।
- 25.** निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात् :— अन्य क्रीड़ा परिषद् के कृत्य।
- (क) अपनी अधिकारिता के भीतर पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों और क्रीड़ा क्लबों की गतिविधियों का समन्वय करना ;
- (ख) अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर क्रीड़ा आयोजनों या प्रतियोगिताओं या टूर्नामेंटों का आयोजन करना ;
- (ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा इसको सौंपे जाएं।

सदस्यों की पदावधि।

26. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य उसके नामनिर्देशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् और नगर क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट छात्र प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तिथि से एक वर्ष होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति दो लगातार अवधियों से अधिक के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

अन्य क्रीड़ा परिषद् की बैठकें।

27. (1) प्रत्येक निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(2) इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

परिषदों, खिलाड़ियों और क्रीड़ा संगठनों के बीच विवादों का निपटारा।

28. (1) यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी मामले के सम्बन्ध में दो अथवा अधिक क्रीड़ा परिषदों के बीच या क्रीड़ा परिषद् और खिलाड़ी के बीच या दो अथवा अधिक खिलाड़ियों के बीच या दो अथवा अधिक क्रीड़ा संगठनों के बीच या किसी जिले के क्रीड़ा संगठन और खिलाड़ियों के बीच या जिले के भीतर किसी क्रीड़ा संगठन और किसी क्रीड़ा परिषद् के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो जिला क्रीड़ा परिषद् को विवाद के निपटारे के लिए शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा लिए गए किसी निर्णय से व्यथित कोई खिलाड़ी, संगठन, क्रीड़ा क्लब और क्रीड़ा परिषद् अपील अधिकरण को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकता है और उस पर अपील अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड।

29. (1) सिविल सेवाओं में से क्रीड़ा की प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित सदस्यों सहित मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता के अधीन सिविल सेवा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड होगा, अर्थात् :-

- (i) प्रशासकीय सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा ;
- (ii) प्रशासकीय सचिव, गृह विभाग, हरियाणा ;
- (iii) प्रशासकीय सचिव, क्रीड़ा और युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा –उपाध्यक्ष ;
- (iv) पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ;
- (v) निदेशक, क्रीड़ा और युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा – सदस्य सचिव ;
- (vi) मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन पदाधारियों या मान्यताप्राप्त क्रीड़ा कर्मचारी निकायों में से अध्यक्ष, सिविल सेवा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य।

(2) सिविल सेवाओं में से क्रीड़ा की प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सिविल सेवा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड को प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाले योगदान का विनिश्चय कर सकती है।

(3) सिविल सेवा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड स्वयं अपनी प्रक्रिया और गतिविधियों को विनियमित करेगा।

(4) कर्मचारियों, किसी अधिसूचित सरकारी विभाग और राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रम में से क्रीड़ा की प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए राज्य क्रीड़ा परिषद् के परामर्श से क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड का गठन कर सकती है।

(5) सम्बद्ध पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपने-अपने क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी निधियां निश्चित करेगा, जो विहित की जाएं।

(6) क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड राज्य क्रीड़ा परिषद् के सहयोग से कृत्य करेगा।

(7) विभिन्न संस्थाओं के छात्रों में से क्रीड़ा की प्रोन्नति और शारीरिक योग्यता के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षा इत्यादि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए या तो संयुक्त रूप से या पृथक रूप से क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड का गठन कर सकती है।

अध्याय—V**क्रीड़ा संगठन और खिलाड़ियों का पंजीकरण**

30. (1) राज्य स्तर या जिला स्तर पर गतिविधियां चलाने वाला कोई क्रीड़ा संगठन इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत क्रीड़ा संगठन के रूप में राज्य क्रीड़ा परिषद् से पंजीकृत हो सकता है और ऐसे पंजीकरण के लिए कोई आवेदन जिला जिसमें इसका मुख्यालय स्थित है, ऐसे रूप में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यक्षीन, जो कोचिंग, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण और अन्य क्रीड़ा संबंधित गतिविधियां आयोजित करने के लिए क्रीड़ा संगठनों को अनुदान प्रदान करने के दृष्टिगत विहित की जाएं, के जिला क्रीड़ा परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा।

क्रीड़ा संगठन
का
पंजीकरण।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद् आवेदन को विचारेगी और यदि संतुष्टि हो जाती है कि मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तों का अनुपालन किया गया है, तो आवेदन राज्य क्रीड़ा परिषद् को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर पंजीकरण हेतु अपनी सिफारिश सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि आवेदन उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर राज्य क्रीड़ा परिषद् को ऐसी सिफारिश सहित नहीं भेजा जाता है या आवेदन रद्द कर दिया जाता है, तो जिला क्रीड़ा परिषद् आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पचहत्तर दिन के भीतर लिखित में सूचित करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर, आवेदक ऐसा आवेदन सीधा राज्य क्रीड़ा परिषद् को तीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

(5) राज्य क्रीड़ा परिषद् उप-धारा (2) या उप-धारा (4) के अधीन प्राप्त किसी आवेदन को विचारेगी और यदि संतुष्टि हो जाती है, तो ऐसे क्रीड़ा संगठन को पंजीकृत करेगी।

(6) किसी क्रीड़ा संगठन के पंजीकरण के संबंध में जिला क्रीड़ा परिषद् या राज्य क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी फीस सहित, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है और उस पर अपील अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) केवल किसी नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका समिति या खण्ड पंचायत समिति के क्षेत्र में कार्य करने वाले क्रीड़ा क्लब सम्बद्ध निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् या खण्ड क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, से किसी क्रीड़ा क्लब के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।

(8) उप-धारा (7) के अधीन पंजीकरण के लिए कोई आवेदन सम्बद्ध क्रीड़ा परिषद् को ऐसे रूप में और ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यक्षीन, ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) उप-धारा (8) के अधीन प्राप्त कोई आवेदन सम्बद्ध क्रीड़ा परिषद् द्वारा विचारा जाएगा और यदि संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे पंजीकरण के लिए अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया गया है, तो ऐसा क्रीड़ा क्लब पंजीकृत किया जाएगा या अन्यथा आवेदन की अस्वीकृति का तथ्य आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(10) उप-धारा (9) के अधीन लिए गए किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् को, ऐसी फीस सहित ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकता है।

(11) क्रीड़ा संगठन के पंजीकरण और ऐसे पंजीकरण के प्रत्याहरण के लिए निबंधन तथा शर्तों और ऐसा पंजीकरण प्रदान करने में जिला क्रीड़ा परिषद् तथा राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे पंजीकृत क्रीड़ा संगठन के विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

31. (1) कोई खिलाड़ी जिला क्रीड़ा परिषद् में किसी खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत करवा सकता है और ऐसे पंजीकरण के लिए कोई आवेदन जिला क्रीड़ा परिषद् को ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन, जो लाभांशों, नकदी पुरस्कार, इनाम तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विहित की जाएं, प्रस्तुत किया जाएगा।

खिलाड़ियों
का पंजीकरण

(2) खिलाड़ी के रूप में पंजीकरण हेतु निबंधन तथा शर्तों और इस निमित्त जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे खिलाड़ियों के विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) जिला क्रीड़ा परिषद् के खिलाड़ी के पंजीकरण के सम्बन्ध में किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष ऐसी फीस सहित ऐसे समय सीमा के भीतर तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील दायर कर सकता है और उस पर अपील अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय—VI**विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषदों का विघटन**

विद्यमान क्रीड़ा परिषदों का विघटन।

32. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, सम्बद्ध जिला की विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् विघटित की गई समझी जाएगी।

(2) विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा किसी भी प्रकार की प्रयुक्त, उपभोग या अधिकृत सभी आस्तियां तथा हक और द्वारा स्वामित्वाधीन या में निहित या द्वारा धारित किसी भी प्रकार के सभी अधिकार ऐसे निदेशों के अधीन, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएं, सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् में निहित हो जाएंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन संबंधित जिला क्रीड़ा परिषद् के गठन पर, विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् का अधिकारी या अन्य कर्मचारी बन जाएगा और अपना पद उसी अवधि हेतु, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जैसा वह विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् के अधीन धारित कर रहा होगा, यदि यह धारा अधिनियमित नहीं की गई थी तथा पद तब तक धारण करता रहेगा जब तक जिला क्रीड़ा परिषद् में उसका नियोजन समाप्त नहीं किया जाता है।

(4) उप-धारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में नियोजन हेतु प्रतिनियुक्त और इस अधिनियमित के प्रारम्भ की तिथि से ठीक पूर्व ऐसे रूप में नियोजित राज्य सरकार का कोई अधिकारी सरकार की सेवा में प्रतिवर्तित हो जाएगा।

अध्याय—VII**वित्त लेखे तथा लेखा—परीक्षा**

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

33. राज्य सरकार राज्य क्रीड़ा परिषद् को, धन की ऐसी धन-राशि अनुदान के रूप में, जो यह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए भुगतान करेगी। राज्य सरकार कोचिंग, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं, क्रीड़ा आयोजन, साज-सामान तथा सेमिनार आयोजित करने हेतु या तो एकमुश्त धन-राशि आधार या बजट आबंटन में से विशिष्ट गतिविधि पर राज्य क्रीड़ा परिषद् या किसी जिला क्रीड़ा परिषद् के निपटान पर निधियां रख सकती है।

राज्य क्रीड़ा परिषद् निधि।

34. (1) राज्य क्रीड़ा परिषद्, राज्य क्रीड़ा परिषद् निधि कही जाने वाली कोई निधि स्थापित करेगी और इसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

- (क) धारा 33 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए धन की सभी धन-राशियां;
- (ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य क्रीड़ा परिषद् को किया गया कोई अनुदान या चन्दा;
- (ग) किसी अन्य स्रोत से राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्राप्त की गई कोई राशि;

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद् निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी,—

- (क) राज्य क्रीड़ा परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यय; तथा
- (ख) किन्हीं अन्य व्ययों जो राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा पूरे किये जाने अपेक्षित हैं।

जिला क्रीड़ा परिषद् निधि।

35. (1) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद् कही जाने वाली कोई निधि गठित करेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) जिला क्रीड़ा परिषद् को राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा भुगतान किए गए धन की सभी धन-राशियां या किया गया कोई अनुदान;

(ख) किसी व्यक्ति या स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था या अन्य संगठनों द्वारा जिला क्रीड़ा परिषद् को किया गया कोई अनुदान या चन्दा;

(ग) किसी अन्य स्रोत से जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्राप्त की गई कोई अन्य राशि।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद् निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी,—

(क) जिला क्रीड़ा परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यय;

(ख) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् तथा खण्ड क्रीड़ा परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यय;

(ग) किन्हीं अन्य व्ययों जो जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा वहन किए जाने अपेक्षित हैं।

36. (1) प्रत्येक निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, उसके नाम से निधि गठित होगी और जिला क्रीड़ा परिषद् से प्राप्त की गई राशि के अतिरिक्त किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई राशि ऐसे निधि में जमा की जाएगी ।

निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् इत्यादि के लिए निधि का गठन।

(2) उप-धारा (1) के अधीन गठित की गई निधि ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रखी, प्रयुक्त और लेखा-परीक्षित की जाएगी।

37. (1) प्रत्येक निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद्, प्रत्येक वर्ष में, उस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्ति और व्यय दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट ऐसे रूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगी और इसकी प्रति सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् को भेजी जाएगी ।

बजट।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुमानित बजट विचारित करने के बाद, जिला क्रीड़ा परिषद् वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट ऐसे रूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगी और उसकी प्रति राज्य क्रीड़ा परिषद् को भेजेगी ।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषदों द्वारा उसको भेजे गए बजट अनुमानों को विचारते हुए, अपना बजट अनुमान तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, भेजेगी ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन उसको भेजे गए बजट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार उसकी जांच करेगी और उसमें किए जाने वाले ऐसे परिवर्तन, संशोधन या रूपान्तरण सुझाएगी, जो यह ठीक समझे और राज्य क्रीड़ा परिषद् को ऐसे सुझाव उसके विचारण के लिए भेजेगी ।

(5) राज्य क्रीड़ा परिषद् उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझावों, यदि कोई हों, के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अपने बजट में शामिल करेगी और जिला क्रीड़ा परिषद् के बजट में परिवर्तन, संशोधन या रूपान्तरण करेगी तथा इस प्रकार परिवर्तित, संशोधित या रूपांतरित किए गए बजट को राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा पारित किया जाएगा।

38. (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् या जिला क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाएगी तथा आय और व्यय तथा तुलन पत्र सहित लेखों का वार्षिक विवरण, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार करेगी

लेखे तथा लेखा-परीक्षा।

(2) परिषद् के लेखों की सुसंगत उपबंधों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा जांच तथा लेखा-परीक्षा की जाएगी।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् के लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण और कार्य रिपोर्ट आगामी वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व तथा यथा सम्भव शीघ्र, राज्य सरकार को भेजी जाएगी, यह राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

39. राज्य क्रीड़ा परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, प्रयोजन तथा ऋण की राशि के विषय में और प्रतिभूति तथा ब्याज की दर के बारे में, ऐसी शर्तों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, के अधीन किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य निगमित निकाय से धन की कोई धन-राशि उधार ले सकती है।

उधार लेने की शक्ति।

अध्याय-VIII

अपील अधिकरण

40. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद, प्रश्न या किसी अन्य मामले के निपटारे के लिए तथा निम्नलिखित के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए अपील अधिकरण गठित करेगी,—

अपील अधिकरण का गठन।

- (क) राज्य क्रीड़ा परिषद् तथा जिला क्रीड़ा परिषद् ;
- (ख) राज्य क्रीड़ा परिषद् तथा खिलाड़ी ;
- (ग) राज्य क्रीड़ा परिषद् तथा क्रीड़ा संगठन ;
- (घ) जिला क्रीड़ा परिषद् तथा खिलाड़ी ;
- (ङ) जिला क्रीड़ा परिषद् तथा क्रीड़ा संगठन ;
- (च) क्रीड़ा संगठन तथा खिलाड़ी।

- (2) अधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—
- (क) पदेन विधि सचिव, जो अधिकरण का अध्यक्ष होगा ;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया कोई अहित व्यक्ति ;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला क्रीड़ा में कोई विशेषज्ञ ।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न अपील अधिकरण के सदस्यों की पदावधि तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

(4) अपील अधिकरण सिविल न्यायालय के रूप में समझा जाएगा तथा वही शक्तियां रखेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद का विचारण या किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन करते समय किसी सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएं ।

(5) अपील अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और अपील करने वाले पक्षकारों पर बाध्य होगा ।

(6) सिविल न्यायालय जिसका ऐसा निर्णय निष्पादन के लिए भेजा गया है, द्वारा अपील अधिकरण के किसी निर्णय का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

41. किसी सिविल न्यायालय में, किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामला जो अपील अधिकरण द्वारा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अवधारित किया जाना अपेक्षित है, के सम्बन्ध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी ।

अपजीकृत क्रीड़ा संगठन और खिलाड़ी की ओर से अधिकार के प्रवर्तन का वर्जन ।

42. किसी क्रीड़ा संगठन की ओर से या किसी खिलाड़ी द्वारा, जिसे या जो, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपजीकृत नहीं किया गया है, किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई भी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद अपील अधिकरण द्वारा संस्थित, प्रारम्भ, सुनवाई, विचारित या निर्णीत नहीं की जाएगी तथा कोई भी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के बाद किसी न्यायालय द्वारा जारी, सुनवाई, विचारित या निर्णीत नहीं की जाएगी, जब तक ऐसा क्रीड़ा संगठन या खिलाड़ी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपजीकृत नहीं किया गया है ।

अध्याय—IX

अधिकारी तथा अमला

अधिकारियों तथा अमले की नियुक्ति ।

43. (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् का सचिव परिषद् की शक्तियों का प्रयोग, अन्य कर्तव्य तथा कृत्य करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषदों के लिए ऐसे अधिकारी तथा अमला नियुक्त करेगा, जो अपेक्षित हो :

परन्तु सीधे रूप से की जाने वाली सभी नियुक्तियों में, पदों की ऐसी प्रतिशतता, जो विहित की जाए, खिलाड़ियों के लिए आरक्षित की जाएगी ।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार या इसके संगठन या केन्द्रीय सरकार या इसके संगठन के किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति आधार पर, राज्य क्रीड़ा परिषद् या जिला क्रीड़ा परिषद् के कर्मचारी के रूप में, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों जो यह ठीक समझे, नियुक्त कर सकती है ।

(3) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्याय—X

विविध

सदस्यों को हटाया जाना ।

44. (1) कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी समय अपना पद त्याग सकता है ।

(2) राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाएगी, यदि वह,—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध तथा कारावास से दण्डित किया गया है, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता वाला है; या

- (ग) विकृत चित्त हो जाता है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है; या
- (घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है; या
- (ङ) राज्य सरकार की राय में, सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जो उस व्यक्ति को पद पर बना रहने के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अहितकर बनाता है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

- (3) उप-धारा (1) के अधीन या अन्यथा हुई कोई रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

45. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशेषतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :-

- (क) जिला क्रीड़ा परिषद् या जिला क्रीड़ा परिषदों द्वारा सदस्यों का नामांकन;
- (ख) सदस्यों का त्याग पत्र तथा अनुवर्ती रिक्तियों और अन्य आकस्मिक रिक्तियों को भरना;
- (ग) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा लेखों का रखरखाव तथा लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का प्रकाशन;
- (घ) निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अधीन राज्य क्रीड़ा परिषद् या जिला क्रीड़ा परिषद् संविदा कर सकती है या सम्पत्ति को धारण या व्ययन कर सकती है ;
- (ङ) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के सचिव तथा स्थायी समिति की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ;
- (च) रीति जिसमें राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् तथा खण्ड क्रीड़ा परिषद् इत्यादि की बैठक समन की जाएगी और ऐसी बैठक तथा अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया;
- (छ) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के अधिकारियों तथा अमले की सेवा शर्तें ;
- (ज) पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड का गठन, क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड की गतिविधियां और उसकी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए निश्चित की जाने वाली निधियां ;
- (झ) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के अधीन क्रीड़ा संगठन का पंजीकरण;
- (ञ) राज्य या जिला में मान्यताप्राप्त क्रीड़ा व्यक्तियों के रूप में वैयक्तिकों का पंजीकरण;
- (ट) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् द्वारा निधियों का गठन;
- (ठ) जिला क्रीड़ा परिषद् या राज्य क्रीड़ा परिषद् या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करने के लिए बजट तथा रीति और समय सीमा तैयार करना ;
- (ड) अपील अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (ढ) अपील अधिकरण के सदस्यों की सेवा के निर्बन्धन तथा शर्तें ;
- (ण) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निर्बन्धन और शर्तें ;
- (त) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।

46. (1) राज्य क्रीड़ा परिषद्, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए उपबन्धों के अधीन तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य रूप से विनियम बना सकती है।

राज्य क्रीड़ा परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं,—

- (क) क्रीड़ा क्लबों के संबंधन के लिए शर्तें और प्रक्रिया ;
- (ख) कोई क्रीड़ा या खेल या टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा आयोजन संचालित या आयोजित करने के लिए मानक, योग्यताएं और शर्तें ;
- (ग) क्रीड़ा संगठनों की स्थापना और खेल मैदानों का रखरखाव ;
- (घ) जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् तथा खण्ड क्रीड़ा परिषद् के कृत्य तथा शक्तियां ;
- (ङ) चन्दों और विन्यासों की स्वीकृति और इसका प्रबन्धन ;
- (च) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जा सकता है।

सदस्यों और
अमले इत्यादि का
लोक सेवक
होना।

47. इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का अनुपालन करते समय इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक सदस्य और अधिकारी और अमला भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवा के रूप में समझा जाएगा।

कठिनाईयां दूर
करना।

48. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसकी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन के रूप में प्रतीत हो :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची-1

(देखिए नियम 3)

राज्य क्रीड़ा परिषद् की संरचना

सरकारी सदस्य

- (क) मुख्यमंत्री, हरियाणा, अध्यक्ष;
- (ख) क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम मंत्री, उपाध्यक्ष;
- (ग) वित्त मंत्री, सदस्य;
- (घ) शिक्षा मंत्री, सदस्य;
- (ङ.) विकास तथा पंचायत मंत्री, सदस्य;
- (च) स्वास्थ्य मंत्री, सदस्य;
- (छ) मुख्य सचिव, सदस्य;
- (ज) मुख्य मंत्री का प्रधान सचिव, सदस्य;
- (झ) प्रशासकीय सचिव, गृह विभाग, सदस्य;
- (ञ) प्रशासकीय सचिव, वित्त विभाग, सदस्य;
- (ट) प्रशासकीय सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, सदस्य;
- (ठ) प्रशासकीय सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, सदस्य;
- (ड) प्रशासकीय सचिव, विकास तथा पंचायत विभाग, सदस्य;
- (ढ) प्रशासकीय सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, सदस्य;
- (ण) प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सदस्य;
- (त) प्रशासकीय सचिव, क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम विभाग, सदस्य;
- (थ) प्रशासकीय सचिव, स्वास्थ्य विभाग, सदस्य;
- (द) पुलिस महानिदेशक, सदस्य ।

नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (क) क्रीड़ा पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों में से कार्यकारी उपाध्यक्ष;
- (ख) विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्य;
- (ग) राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपतियों में से दो सदस्य;
- (घ) अध्यक्ष/सचिव, हरियाणा ओलम्पिक संघ;
- (ङ.) मान्यताप्राप्त राज्य क्रीड़ा संगठनों/संघों में से दो अध्यक्ष/सचिव;
- (च) राज्य में क्रीड़ा की प्रोन्नति के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों में से दो सदस्य;
- (छ) राज्य में किसी विश्वविद्यालय के निदेशक, क्रीड़ा या शारीरिक शिक्षा में से एक सदस्य;
- (ज) क्रीड़ा औषधि/क्रीड़ा चोटिल प्रबंधन/क्रीड़ा मनोविज्ञान में विशेषज्ञों में से दो सदस्य;
- (झ) अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में क्रीड़ा विशेषज्ञों/पुरस्कार विजेताओं/पदक विजेताओं में से दो सदस्य जिनमें एक महिला होगी ।
- (ञ) क्रीड़ा पत्रकारिता में एक सदस्य;
- (ट) क्रीड़ा प्रोन्नति में रुचि रखने वाली दो महिला सदस्य;
- (ठ) क्रीड़ा की प्रोन्नति में सम्बद्ध उद्योग से दो सदस्य ।

अनुसूची-II

(देखिए धारा 9)

जिला क्रीड़ा परिषदों की संरचना

पदेन सदस्य

- (क) उपायुक्त, जो जिला क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष होगा;
- (ख) पुलिस आयुक्त का प्रतिनिधि, जो पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो;
- (ग) जिला परिषद् का अध्यक्ष;
- (घ) अधीक्षण अभियन्ता/कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क);
- (ङ) सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
- (च) जिला शिक्षा अधिकारी;
- (छ) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी;
- (ज) नगर निगम का मेयर;
- (झ) जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी;
- (ञ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी;
- (ट) कार्यक्रम अधिकारी, महिला तथा बाल विकास;
- (ठ) जिला क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम अधिकारी-सचिव, जिला क्रीड़ा परिषद् ।

नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (क) क्रीड़ा पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों में से उपाध्यक्ष;
- (ख) जिला ओलम्पिक संघ का सचिव;
- (ग) मान्यताप्राप्त जिला क्रीड़ा संगठनों/किस्ती मान्यताप्राप्त राज्य क्रीड़ा संगठन/संघ से सम्बद्ध संघों में से चार सदस्य;
- (घ) सम्बद्ध जिले की नगरपालिका परिषद्/नगरपालिका समितियों के सभापतियों में से एक सदस्य;
- (ङ) जिले में खण्ड पंचायत समिति के अध्यक्षों में से एक सदस्य;
- (च) जिले में ग्राम पंचायत के सरपंचों में से दो सदस्य जिनमें एक महिला सरपंच होगी;
- (छ) जिले में महाविद्यालयों में से एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक;
- (ज) जिले में क्रीड़ा राज्य स्तरीय उपलब्धियां रखने वाला एक पुरुष छात्र तथा एक महिला छात्रा;
- (झ) क्रीड़ा औषधि में पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाला एक पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायी;
- (ञ) क्रीड़ा में अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तरीय उपलब्धियां रखने वाले दो खिलाड़ी, जिनमें एक महिला होगी ।

अनुसूची-III

(देखिए धारा 16)

निगम क्रीड़ा परिषदों की संरचना

पदेन सदस्य

- (क) नगर निगम का मेयर, जो निगम क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष होगा;
- (ख) नगर निगम का निगम आयुक्त;
- (ग) नगर निगम का मुख्य अभिन्यता, अधीक्षण अभियन्ता (वरिष्ठतम);
- (घ) सम्पदा अधिकारी, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण;
- (ङ) नगर निगम का सचिव, जो निगम क्रीड़ा परिषद् का सचिव होगा;
- (च) नगर निगम क्षेत्र के भीतर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
- (छ) उप जिला शिक्षा अधिकारी;
- (ज) जिला क्रीड़ा अधिकारी ।

नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (क) नगर निगम क्षेत्र में क्रीड़ा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से नगर क्रीड़ा परिषद् का उपाध्यक्ष;
- (ख) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य जिनमें से एक महिला होगी;
- (ग) नगर निगम क्षेत्र के भीतर क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले खिलाड़ी छात्रों में से दो सदस्य—एक पुरुष छात्र तथा एक महिला छात्रा;
- (घ) नगर निगम क्षेत्र के भीतर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से दो सदस्य जिनमें एक महाविद्यालय से होगा तथा दूसरा विद्यालय से होगा;
- (ङ) नगर निगम के पार्श्वों में से तीन सदस्य जिनमें एक महिला होगी और एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होगा;
- (च) निगम क्रीड़ा परिषद् से पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों तथा क्लबों के पदाधारियों में से दो सदस्य;
- (छ) निगम क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से दो सदस्य ।

अनुसूची-IV*(देखिए धारा 18)*

नगरपालिका क्रीड़ा परिषद की संरचना

पदेन सदस्य

- (क) नगरपालिका परिषद का सभापति, जो नगरपालिका क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष होगा;
- (ख) नगरपालिका परिषद क्षेत्र का कार्यकारी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता;
- (ग) उप जिला शिक्षा अधिकारी,
- (घ) नगरपालिका परिषद का सचिव, जो नगरपालिका क्रीड़ा परिषद का सचिव होगा;
- (ङ) नगरपालिका परिषद क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाला तहसीलदार ।

नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (क) क्रीड़ा में रुचि रखने वाले नगरपालिका परिषद क्षेत्र के व्यक्तियों में से नगरपालिका क्रीड़ा परिषद का उपाध्यक्ष;
- (ख) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य, जिनमें से एक महिला होगी;
- (ग) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले खिलाड़ी छात्रों में से दो सदस्य—एक पुरुष छात्र तथा एक महिला छात्रा;
- (घ) शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से एक सदस्य;
- (ङ) नगरपालिका पार्श्वों में से तीन सदस्य जिनमें एक महिला होगी और एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होगा;
- (च) नगरपालिका क्रीड़ा परिषद से पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों तथा क्लबों के पदाधारियों में से दो सदस्य ।

अनुसूची- V*(देखिए धारा 20)*

नगर क्रीड़ा परिषदों की संरचना

पदेन सदस्य

- (क) नगरपालिका समिति का अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष होगा;
- (ख) नगरपालिका समिति क्षेत्र का सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता;
- (ग) खण्ड शिक्षा अधिकारी;
- (घ) नगरपालिका समिति का सचिव, जो नगर क्रीड़ा परिषद् का सचिव होगा;
- (ङ) नगरपालिका समिति क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाला तहसीलदार;
- (च) नगरपालिका समिति क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी विद्यालय का एक प्रधानाचार्य ।

नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (क) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य जिनमें एक महिला होगी;
- (ख) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले क्रीड़ा छात्रों में से दो सदस्य—एक पुरुष छात्र तथा एक महिला छात्रा;
- (ग) शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से एक सदस्य;
- (घ) नगरपालिका समिति पार्षदों में से तीन सदस्य जिनमें एक महिला होगी तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होगा;
- (ङ) नगरपालिका समिति से पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों तथा क्लबों के पदाधारियों में से दो व्यक्ति ।

अनुसूची—VI*(देखिए धारा 22)*

खण्ड क्रीड़ा परिषदों की संरचना

पदेन सदस्य

- (क) खण्ड पंचायत समिति का अध्यक्ष, जो खण्ड क्रीड़ा परिषद् का सभापति होगा;
- (ख) खण्ड पंचायत समिति का खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जो खण्ड क्रीड़ा परिषद् का सचिव होगा;
- (ग) सहायक अभियन्ता, खण्ड पंचायत समिति पंचायती राज;
- (घ) खण्ड क्रीड़ा परिषद् के मुख्यालय की अधिकारिता रखने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी;
- (ङ) खण्ड क्रीड़ा परिषद् के मुख्यालय की अधिकारिता रखने वाला खण्ड शिक्षा अधिकारी ।

नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (क) पंचायत समिति क्षेत्र में क्रीड़ा में रूचि रखने वाले व्यक्तियों में से खण्ड क्रीड़ा परिषद् का उपाध्यक्ष;
- (ख) खण्ड पंचायत समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से दो सदस्य;
- (ग) खण्ड पंचायत समिति में विद्यालयों के माता-पिता-अध्यापक संगठनों के पदाधारियों में से दो सदस्य;
- (घ) खण्ड पंचायत समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट क्रीड़ा में अपनी उपलब्धियां रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य जिनमें एक महिला होगी;
- (ङ) खण्ड पंचायत समिति के सदस्यों में से तीन सदस्य जिनमें एक महिला होगी तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होगा;
- (च) खण्ड पंचायत समिति से पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों तथा क्लबों के अध्यक्षों में से दो सदस्य;

उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण

हरियाणा सरकार स्वीकार करती है कि शारीरिक कार्यकलाप तथा खेल हरियाणा की संस्कृति तथा समाज का अनिवार्य भाग है। हमारे लिए खेलों का फायदा स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बद्धता, आर्थिक कार्यकलापों, सांस्कृतिक समृद्धि तथा जीवन की उन्नत क्वालिटी के रूप में है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य शारीरिक कार्यकलाप तथा खेलों के अभ्यास के महत्वपूर्ण लाभों के बारे में हरियाणा के निवासियों में जागरूकता को बढ़ाना है। हरियाणा सरकार हरियाणा निवासियों के दैनिक जीवन में शारीरिक कार्यकलापों को अनिवार्य बनाते हुए स्वास्थ्य तथा तंदरुस्ती के मूल आमुख के रूप में शारीरिक कार्यकलापों के स्तर को बढ़ाने तथा खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने में उनको प्रोत्साहित करना तथा सहयोग देना चाहती है। हरियाणा सरकार ने देश में खेलों को मुख्य प्रोत्साहन देने का गौरव प्राप्त किया है। सभी स्तरों पर खेलों में भागीदारी, समावेश तथा श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए अपनी बचनबद्धता को दोहराती है। इसके दृष्टिगत हरियाणा खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता पॉलिसी 2015 को उच्चतम नीतिपरक मानकों तथा मूल्यों की पाई गई है। हरियाणा खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता पॉलिसी 2015 के अनुसार राज्य में खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता को बढ़ाने के लिए, एथलैटिक्स दक्षता को बढ़ाने हेतु तथा सभी के लिए खेल की धारणा को बढ़ाने के लिए, राज्य स्तर, जिला स्तर, खण्ड स्तर, नगरनिगम स्तर, नगरपरिषद स्तर तथा नगरपालिका समिति स्तर पर वैधानिक खेल परिषद् गठित की जानी आशयित हैं। सम्बन्धित खेल परिषद में कोचिंग, प्रतियोगिताएं तथा अन्य खेल संबंधी कार्यकलापों के लिए जिम्मेवार होंगी।

उपर्युक्त के दृष्टिगत राज्य स्तर, जिला स्तर, खण्ड स्तर, नगरनिगम स्तर, नगरपरिषद स्तर तथा नगरपालिका समिति स्तर पर वैधानिक खेल परिषदें गठित की जानी हैं।

अनिल विज,
खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
25 अगस्त, 2016

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान से सम्बंधित ज्ञापन

प्रस्तावित अधिनियम की धारा 45 के अनुसार इस अधिनियम की उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारिणी की शक्तियों का यह प्रत्यायोजन साधारण स्वरूप का है अतः हरियाणा विधान सभा कारोबार प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन संलग्न किया जाता है।

54580—H.V.S.—H.G.P., Chd.